

11/24 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण न न्यायालय कार्य का बहिष्कार/स्थगण पर रखा । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही क्रमांक 30-12-24 को पेश हो

30/24 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण न न्यायालय कार्य का बहिष्कार/स्थगण पर रखा । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही क्रमांक 21-1-25 को पेश हो

21/25 पत्रावली पेश हुई पीठालीन अधिकारी महोदय को पेश पर है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12/2/25 को पेश हो

12/25 पत्रावली पेश हुई पीठालीन अधिकारी महोदय को पेश पर है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5/3/25 को पेश हो ।

5/3 पत्रावली पेश हुई पीठालीन अधिकारी महोदय को पेश पर है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19/3/25 को पेश हो

19/3 पत्रावली पेश हुई । वकील पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली व बहस प्रकरण को पेश पर है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10/3/2025 को पेश हो ।

03/2025 पत्रावली पेश हुई । वकील पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली व बहस प्रकरण को पेश पर है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10/3/2025 को पेश हो ।

TIO KOLK

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या: 04/2024

जी.सी.एम.एस.नं.: 2024/4

दर्ज दिनांक: 12.01.2024

निर्णय दिनांक:

1. पालाराम पुत्र मूला राम जाति माली निवासी वार्ड.नं. 04, कुआँ भूरी कुडी उदयपुरवाटी तह. उदयपुरवाटी

.....आवेदक


बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र मांगू
2. भोपालराम पुत्र गुल्लाराम
3. मोहन लाल पुत्र गुल्लाराम
4. जगदीश प्रसाद पुत्र औंकार मल
5. किशोरी लाल पुत्र औंकार मल
6. लालचन्द पुत्र औंकार मल
7. बनारसी देवी पत्नी शिवनाथ
8. महेश कुमार पुत्र शिवनाथ
9. रामनिवास पुत्र शिवनाथ
10. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक: /03/2025

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 561, 562 रकबा 0.7600 हैक्टर एवं 0.5700 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.33 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 744 मी. व ख.नं. हाल 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564 रकबा क्रमशः 0.4900, 0.4500, 0.9500, 0.0400, 0.0100, 0.9100, 0.2400, 0.9100, 0.9400, 0.0400, 0.0400, 0.5500, 1.2300 कुल किता 13 कुल रकबा 6.8000 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 774मी. है व कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 615, 623, 667, 668, 669, 670, 671, 674 रकबा क्रमशः 0.1200, 0.3400, 0.19, 0.14, 0.13, 0.28, 0.49, 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्टर है। जिसके पुराने ख.नं. 720मी, 711मी., 712मी., 713मी., 720 मी., 719 मी., 716 मी., 717 मी. है व भूमि खसरा नम्बरान हाल 614, 616, 621, 622 रकबा 0.2400, 0.2300, 0.1000, 0.1000 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.6700 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 719 मी., 720 मी., 711 मी., 711 मी. है व भूमि ख.नं. हाल 613 रकबा 0.1300 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 718 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 610 रकबा 0.2400 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 721, 722 मी., है। भूमि ख.नं. हाल 661, 662, 663, 665, 666, 672, 673, 675, 676 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.0800, 0.1200, 0.3600, 0.3200, 0.0800, 0.19, 0.4400, 0.3800 कुल किता 9 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 711 मी., 711 मी., 711 मी., 710 मी., 710 मी., 714 मी., 716 मी., 709 मी., 709 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 664 रकबा 0.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 609 मी. है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदकगण व अनावेदकगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काशत है। तथा इलग अलग बांट कर अपनी सुविधा से भूमि काशत करते चले आ रहे है। तथा कब्जा काशत को लेकर मौके पर खातेदारों में कोई विवाद नहीं है परन्तु उक्त भूमि में परसा राज का हिस्सा 1/6 था जिसको पहले


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

परसा राम काशत करता था तथा उसके फौत होने के बाद उसके चारों पुत्र गुल्ला राम, मांगू राम, रामदेवा राम, मूला राम बराबर हिस्सों में अलग अलग काशत करते आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके चारों के उत्तराधिकारी काशत करते चले आ रहे हैं। सैटलमेंट अधिकारियों ने उक्त वर्णित भूमि को परसा राम के जीवन काल में ही उनके बड़े दो पुत्रों के नाम गलत दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित भूमि मांगू राम पुत्र परसाराम के अकेले के ही नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया जो आज भी उसी रूप से कायम है परन्तु मौके पर परसाराम के चारों पुत्र बराबर हिस्से में काबिज काशत है तथा मकानात बनाकर आबाद है तथा परसाराम की मृत्यु के बाद पिछले 55 वर्षों से अलग अलग चारों भाई काशत करते आ रहे थे तथा अब उनके वारिसों ने घरेलू विधुत कनेक्शन ले रखा है परन्तु राजस्व रिकार्ड परसा राम के दोनों पुत्रों गुल्ला राम व मांगूराम के वारिसान के नाम से चला आ रहा है। परसा राम के कस्बा उदयपुरवाटी में चार अन्य खाता ढाणी भूरीकुड़ी में काशत की जमीन थी और चारों पुत्रों के नाम बराबर बराबर सही रिकार्ड दर्ज हो चुकी थी तथा चारों वारिसान कब्जा काशत हैं परन्तु उक्त वर्णित भूमि अनावेदकगण 02 लगायत 09 के ही नाम गलत दर्ज रिकार्ड है जबकि यह भूमि स्व. परसाराम की भूमि थी तथा परसा राम की भूमि में उनके चारों पुत्रों के बराबर बराबर 1/4, 1/4 बराबर हिस्से में आनी चाहिए तथा पैत्रिक भूमि होने के कारण चारों पुत्रों का बराबर हिस्से में आनी चाहिए तथा पैत्रिक भूमि होने के कारण चारों पुत्रों का हिस्सा बराबर बराबर है क्योंकि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में सभी पुत्रों के बराबर बराबर हिस्सा होता है परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अनावेदकगण नं 1 लगायत 09 आवेदक को उक्त भूमि दीगर व्यक्ति को बेचार कर बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं तथा उन्हें उनके हिस्से की भूमि में कब्जा काशत से बेदखल करने पर आमदा है। आवेदक ने अनावेदकगण नंगर 1 लगायत 9 से कई बार रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए निवेदन किया था परन्तु वे झूठे आश्वासन देकर समय निकालते रहे तथा दिनांक 05.12.2023 को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया।

अन्त में निवेदन किया कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 561, 562 रकबा 0.7600 हैक्टर एवं 0.5700 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.33 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 744 मी. व ख. नं. हाल 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564 रकबा क्रमशः 0.4900, 0.4500, 0.9500, 0.0400, 0.0100, 0.9100, 0.2400, 0.9100, 0.9400, 0.0400, 0.0400, 0.5500, 1.2300 कुल किता 13 कुल रकबा 6.8000 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 774 मी. है व कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 615, 623, 667, 668, 669, 670, 671, 674 रकबा क्रमशः 0.1200, 0.3400, 0.19, 0.14, 0.13, 0.28, 0.49, 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्टर है। जिसके पुराने ख.नं. 720 मी., 711 मी., 712 मी., 713 मी., 720 मी., 719 मी., 716 मी., 717 मी. है व भूमि खसरा नम्बरान हाल 614, 616, 621, 622 रकबा 0.2400, 0.2300, 0.1000, 0.1000 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.6700 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 719 मी., 720 मी., 711 मी., 711 मी. है व भूमि ख.नं. हाल 613 रकबा 0.1300 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 718 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 610 रकबा 0.2400 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 721, 722 मी., है। भूमि ख.नं. हाल 661, 662, 663, 665, 666, 672, 673, 675, 676 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.0800, 0.1200, 0.3600, 0.3200, 0.0800, 0.19, 0.4400, 0.3800 कुल किता 9 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 711 मी., 711 मी., 711 मी., 710 मी., 710 मी., 714 मी., 716 मी., 709 मी., 709 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 664 रकबा 0.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 609 मी. है, उक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें, खुर्द बुर्द नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ऐसा कार्य न तो स्वयं करें व न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करवायें। अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अनावेदकगण 01 लगायत 11 बावजूद तामिल सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता आवेदक/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं.

8

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

हाल 561, 562 रकबा 0.7600 हैक्टर एवं 0.5700 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.33 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 744 मी. व ख.नं. हाल 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564 रकबा क्रमशः 0.4900, 0.4500, 0.9500, 0.0400, 0.0100, 0.9100, 0.2400, 0.9100, 0.9400, 0.0400, 0.0400, 0.5500, 1.2300 कुल किता 13 कुल रकबा 6.8000 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 774मी. है व कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 615, 623, 667, 668, 669, 670, 671, 674 रकबा क्रमशः 0.1200, 0.3400, 0.19, 0.14, 0.13, 0.28, 0.49, 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्टर है। जिसके पुराने ख.नं. 720मी, 711मी., 712मी., 713मी., 720 मी., 719 मी., 716 मी., 717 मी. है व भूमि खसरा नम्बरान हाल 614, 616, 621, 622 रकबा 0.2400, 0.2300, 0.1000, 0.1000 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.6700 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 719 मी., 720 मी., 711 मी., 711 मी. है व भूमि ख.नं. हाल 613 रकबा 0.1300 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 718 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 610 रकबा 0.2400 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 721, 722 मी., है। भूमि ख.नं. हाल 661, 662, 663, 665, 666, 672, 673, 675, 676 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.0800, 0.1200, 0.3600, 0.3200, 0.0800, 0.19, 0.4400, 0.3800 कुल किता 9 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 711 मी., 711 मी., 710 मी., 710 मी., 714 मी., 716 मी., 709 मी., 709 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 664 रकबा 0.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 609 मी. है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदकगण व अनावेदकगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। तथा इलग अलग बांट कर अपनी सुविधा से भूमि काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा कब्जा काश्त को लेकर मौके पर खातेदारों में कोई विवाद नहीं है परन्तु उक्त भूमि में परसा राज का हिस्सा 1/6 था जिसको पहले परसा राम काश्त करता था तथा उसके फौत होने के बाद उसके चारों पुत्र गुल्ला राम, मांगू राम, रामदेवा राम, मूला राम बराबर हिस्सों में अलग अलग काश्त करते आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके चारों के उत्तराधिकारी काश्त करते चले आ रहे हैं। सैटलमेंट अधिकारियों ने उक्त वर्णित भूमि को परसा राम के जीवन काल में ही उनके बड़े दो पुत्रों के नाम गलत दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित भूमि मांगू राम पुत्र परसाराम के अकेले के ही नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया जो आज भी उसी रूप से कायम है परन्तु मौके पर परसाराम के चारों पुत्र बराबर हिस्से में काबिज काश्त है तथा मकानात बनाकर आबाद है तथा परसाराम की मृत्यु के बाद पिछले 55 वर्षों से अलग अलग चारों भाई काश्त करते आ रहे थे तथा अब उनके वारिसों ने घरेलू विधुत कनेक्शन ले रखा है परन्तु राजस्व रिकार्ड परसा राम के दोनों पुत्रों गुल्ला राम व मांगूराम के वारिसान के नाम से चला आ रहा है। परसा राम के कस्बा उदयपुरवाटी में चार अन्य खाता ढाणी भूरीकुड़ी में काश्त की जमीन थी और चारों पुत्रों के नाम बराबर बराबर सही रिकार्ड दर्ज हो चुकी थी तथा चारों वारिसान कब्जा काश्त हैं परन्तु उक्त वर्णित भूमि अनावेदकगण 02 लगायत 09 के ही नाम गलत दर्ज रिकार्ड है जबकि यह भूमि स्व. परसाराम की भूमि थी तथा परसा राम की भूमि में उनके चारों पुत्रों के बराबर बराबर 1/4, 1/4 बराबर हिस्से में आनी चाहिए तथा पैत्रिक भूमि होने के कारण चारों पुत्रों का बराबर हिस्से में आनी चाहिए तथा पैत्रिक भूमि होने के कारण चारों पुत्रों का हिस्सा बराबर बराबर है क्योंकि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में सभी पुत्रों के बराबर बराबर हिस्सा होता है परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अनावेदकगण नं 1 लगायत 09 आवेदक को उक्त भूमि दीगर व्यक्ति को बेचार कर बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं तथा उन्हें उनके हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमदा है। आवेदक ने अनावेदकगण नंगर 1 लगायत 9 से कई बार रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए निवेदन किया था परन्तु वे झूठे आश्वासन देकर समय निकालते रहे तथा दिनांक 05.12.2023 को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें, खुर्द बुर्द नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ऐसा कार्य न तो स्वयं करें व न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करवायें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

8

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

आदेश

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण व अनावेदकगण उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे करबा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 561, 562 रकबा 0.7600 हैक्टर एवं 0.5700 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.33 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 744 मी. व ख.नं. हाल 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564 रकबा क्रमशः 0.4900, 0.4500, 0.9500, 0.0400, 0.0100, 0.9100, 0.2400, 0.9100, 0.9400, 0.0400, 0.0400, 0.5500, 1.2300 कुल किता 13 कुल रकबा 6.8000 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 774मी. है व करबा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. हाल 615, 623, 667, 668, 669, 670, 671, 674 रकबा क्रमशः 0.1200, 0.3400, 0.19, 0.14, 0.13, 0.28, 0.49, 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्टर है। जिसके पुराने ख.नं. 720मी, 711मी., 712मी., 713मी., 720 मी., 719 मी., 716 मी., 717 मी. है व भूमि खसरा नम्बरान हाल 814, 816, 821, 822 रकबा 0.2400, 0.2300, 0.1000, 0.1000 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.8700 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 719 मी., 720 मी., 711 मी., 711 मी. है व भूमि ख.नं. हाल 813 रकबा 0.1300 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 718 मी. है। भूमि ख.नं. हाल 610 रकबा 0.2400 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 721, 722 मी., है। भूमि ख.नं. हाल 661, 662, 663, 665, 666, 672, 673, 675, 676 रकबा क्रमशः 0.1800, 0.0800, 0.1200, 0.3600, 0.3200, 0.0800, 0.19, 0.4400, 0.3800 कुल किता 9 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 711 मी., 711 मी., 711 मी., 710 मी., 710 मी., 714 मी., 716 मी., 709 मी., 709 मी., भूमि ख.नं. हाल 664 रकबा 0.1300 हैक्टर जिनके पुराने ख.नं. 609 मी. के संबंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश कटाणी/डोटेड़/डबल डोटेड़/प्रचलित रास्ता एवं आवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक

को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी